

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
“लेखापरीक्षा भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सं.प्रनिलेप(के)/प्रशा./युनिट-1/11-04/2021-

22/29

दि.13.06.2021

विषय- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय –के संबंध में ।

परिपत्र सं. 07

तामिलनाडु सरकार के जीओ संख्या 394 दिनांक 05.06.2021 पर आधारित इस कार्यालय के दिनांक 06.06.2021 के परिपत्र संख्या 6 के अनुक्रम में एवं तामिलनाडु सरकार की दिनांक 11.06.2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 263 को ध्यान में रखते हुए ,यह कार्यालय 30 प्रतिशत की स्टाफ शक्ति के साथ कार्य करता रहेगा । इस संबंध में, स्थानीय सरकार के निर्देशों का पालन करने की कार्यालयों को सलाह देने वाले मुख्यालय के दिनांक 06/05/2021 के पत्र को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते है :

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, चेन्नै ,शाखा कार्यालय मदुरै सहित 18.06.2021 तक 30 प्रतिशत की स्टाफ शक्ति के साथ कार्य करते रहेंगे । लेखापरीक्षा पार्टी सदस्य आवश्यकता एवं संबंधित गूप अधिकारियों से विशिष्ट निर्देशों के आधार पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।
2. अधिकारी /कर्मचारी जिन्हें एक विशिष्ट दिन पर कार्यालय जो घर से कार्य कर रहे है, उन्हें सदा(सभी समयों पर) संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा । उन्हे किसी भी परिस्थितियों में अपने छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी से आवश्यक छुट्टी/अनुमति लिए बिना स्टेशन नही छोड़ना चाहिए ।
3. यदि आवश्यकता हो तो, अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें "आवश्यक सेवा" देने की आवश्यकता है, उनके संबंध में आदेश उचित समय पर अलग से अधिसूचित किये जायेंगे ।
4. वे कोविड -19 प्रबंधन के संबंध में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे ।

5. ये आदेश 06.06.2021/अगले आदेश तक लागू रहेंगे ।
(प्रनिलेप(के) के दिनांक 30-05-2021 के आदेशानुसार)

हस्ता/-
उपनिदेशक/प्रशासन

प्रति
अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार